निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 72/2021 (रिव्यू प्रार्थना पत्र)

(1) मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्राईवेट लिमिटेड (ऋणी)

(अ) रजिस्टर्ड पता : प्लॉट नं. एफ–28(के), मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर

(ब) प्लॉट नं. ई–1/1274, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–तृतीय, सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(स) प्लॉट नं. जे–306, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, ई.पी.आई.पी. सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(2) श्री संदीप जैन पुत्र श्री शशि कुमार जैन (डायरेक्टर एवं गारन्टर)

(अ) रजिस्टर्ड पता : प्लॉट नं. एफ–28(के), मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर

(ब) प्लॉट नं. ई–1/1274, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–तृतीय, सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(स) प्लॉट नं. जे–306, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, ई.पी.आई.पी. सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(द) फ्लैट/यूनिट नं. 611, छठवीं मंजिल, "महिमा फाउन्टेन स्कवायर" प्लॉट नं. 6, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.)

(3) श्रीमती नीलम जैन पत्नी श्री संदीप जैन (डायरेक्टर एवं गारन्टर)

(अ) रजिस्टर्ड पता : प्लॉट नं. एफ–28(के), मालवीय इण्डस्ट्रीयल एरिया, मालवीय नगर, जयपुर

(ब) प्लॉट नं. ई–1/1274, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–तृतीय, सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(स) प्लॉट नं. जे–306, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, ई.पी.आई.पी. सीतापुरा, जयपुर (राज.)

(द) फ्लैट/यूनिट नं. 611, छठवीं मंजिल, "महिमा फाउन्टेन स्कवायर", प्लॉट नं. 6, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.)–

(4) श्रीमती इन्द्रा जैन पत्नी श्री शशि कुमार जैन (गारन्टर)

(अ) प्लॉट नं. 8–ए, सागर कॉलोनी, फालना, तहसील– बाली, जिला– पाली (राज.)

(ब) फ्लैट/यूनिट नं. 611, छठवीं मंजिल, "महिमा फाउन्टेन स्कवायर", प्लॉट नं. 6, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर (राज.)–

(5) श्री शरद कुमार बाकलीवाल (गारन्टर)

बी–70, उपासना टावर, द्वितीय तल, राजेन्द्र मार्ग, बापू नगर, जयपुर (राज.)

प्रार्थीगण

बनाम

यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मिड कॉर्पोरेट शाखा, रॉयल सुन्दरम, 1, विवेकानन्द मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।

अप्रार्थी बैंक

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता 1908 आदेश दिनांक 28.01.2021 को रिकॉल/रिव्यू करने बाबत एवं अन्तर्गत धारा 191, 192 एवं 193 भा॰ द॰ सं॰ विरूद्व अप्रार्थी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा इस न्यायालय के समक्ष फर्जी एवं अधूरा शपथ पत्र पेश करने बाबत।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

उपस्थित :–
1. श्री आदित्य जैन अधिवक्ता प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री रमन कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी बैंक की ओर से।

आदेश दिनांक 15.03.2021

1. संक्षेप में रिव्यू प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत प्रकरण संख्या 361/2020 व उनवानी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम मैसर्स स्वास्तिक कॉपर में प्रार्थीगण की बन्धक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त करने हेतु पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने बावत दिये गये आदेश दिनांक 28.01.2021 को रिकाल/रिव्यू किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी बैंक को वस्तुस्थिति की टिप्पणी सहित उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री रमन कुमार ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब किया । पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने रिव्यू प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थीगण ने अप्रार्थी वित्तीय बैंक से सन् 2000 में ऋण हेतु आग्रह किया एवं अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को कुल 4 लोन एकाउन्ट के लिये केश केडिट फेसिलिटी उपलब्ध करवाई थी। तत्पश्चात दिनांक 22.08.2016 को अपार्थी वित्तीय बैंक ने प्रार्थीगण को कुल रूपये केश केडिट हाईपोथिकेशन लिमिट लोन खाते में कुल 6250 लाख रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। पुर्न भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी मैसर्स स्वास्तिक कॉपर प्राईवेट लिमिटेड की प्लॉट नं. ई–1/1274, रीको इण्डस्ट्रीयल एरिया, फेज–तृतीय, सीतापुरा, जयपुर (राज.) स्थित फैक्ट्री लैण्ड एण्ड बिल्डिंग तथा हाईपोथिटेड बोरोवर्स स्टॉक ऑफ ट्रांसफॉर्मर, डीपीसी वायर्स, टैंक्स इत्यादि, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल स्टॉक्स ऑफ रॉ–मैटेरियल्स, वर्क–इन–प्रोसेस, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स एण्ड फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टेन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड मशीनरी, व्हीकल्स, स्पेयर्स, टूल्स, एसेसरीज एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि (हाईपोथिकेशन एग्रीमेन्ट में विस्तृत रूप से परिभाषित) को बन्धक रख कर केश केडिट सुविधा उपलब्ध कराई गई। प्रार्थीगण द्वारा सन् 2000 से वित्तीय बैंक को लगातार किस्त चुकाई गई एवं उपरोक्त लोन केडिट फैसिलिटी मे आज दिनांक तक काफी राशि चुका दिया है एवं लगातार किश्त देता रहा फिर भी प्रार्थी फाइनेन्स बैंक ने दिनांक 28.0.2020 को ही अप्रार्थीगण के लोन खाते को गलत तरीके से एन पी ए घोषित कर दिया एवं दिनांक 31.03.2020 एवं 27.07.2020 को 2 डिमाण्ड नोटिस अन्तर्गत धारा 13 (2) सरफेशी एक्ट जारी कर दिया, जो सरफेशी कानून के विपरीत था । यहां पर गौर फरमाने की बात यह है कि नोटिस दिनांक 27.07.2020 में बैंक द्वारा अन्त में यह लिखा गया कि नोटिस दिनांक 31.03.2020 बैंक द्वारा ही विड्रो किया जाता है। अप्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा दिनांक 01.02.2020 को प्रार्थीगण को एक रिकाल नोटिस दिया गया जिसमें एन पी ए की तिथि 31.01.2020

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

दर्शाई गई। जबकि दिनांक 27.07.2020 के नोटिस में बैंक द्वारा लोन अकाउन्ट एन पी ए होने की तिथि 28.01.2020 बतलाई गई है। इन तथ्यों से साफ जाहिर है कि अप्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा गलत तरीके से सरफेशी एक्ट के विरूद्व जाकर लोन एकाउन्ट एन पी ए घोषित किया गया है। प्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण की ओर से दिनांक 28.09.2020 को ई–मेल के जरिये अप्रार्थी वित्तीय बैंक को डिमाण्ड नोटिस दिनांक 27.07.2020 के विरूद्व औपचारिक आपत्ति प्रस्तुत की जो कि बैंक को प्राप्त हुई, परन्तु अप्रार्थी वित्तीय बैंक ने आज दिनांक तक प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का ना तो अवलोकन किया ना ही आपत्तियों का निस्तारण किया जो कि सरफेशी एक्ट के प्रावधानों के विरूद्व है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त यह है कि ऋणियों द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों पर वित्तीय संस्था का जबाब देना आवश्यक है, कि वह आपत्तियों को मानते है या नहीं। यही प्रावधान सरफेशी एक्ट की धारा 13(3 ए) में स्थापित है। यहां यह कथन भी करना उचित होगा कि अप्रार्थी वित्तीय बैंक ने धारा 14 सरफेशी एक्ट में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र में कहीं भी यह वर्णन नहीं किया कि प्रार्थीगण द्वारा धारा 13 (2) का जबाब/आपत्ति प्रस्तुत की गई थी एवं अप्रार्थी बैंक ने कभी भी आपत्तियों का मद्देनजर रखते हुये उनका निस्तारण नही किया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जबाब/आपत्ति अन्तर्गत धारा 13 (3ए) सरफेशी एक्ट एवं ई मेल अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। अप्रार्थी वित्तीय बैंक के इस कृत्य से पीडित हो कर प्रार्थीगण ने माननीय उच्च न्यायालय बैच जयपुर के समक्ष एक सिविल रिट याचिका सी डब्लू/5723/2020 स्वास्तिक कॉपर बनाम यूनियन बैक ऑफ इण्डिया दिनांक 22.05.2020 को दर्ज की। उपरोक्त रिट याचिका में दिनांक 28.05.2020 को प्रार्थी के अधिक्ता द्वारा बहस की व अप्रार्थी वित्तीय बैंक को नोटिस जारी किये गये। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत याचिका का केश स्टेट्स एवं दिनांक 28.05.2020 के आदेश की प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत है। दिनांक 30.05.2020 को बैंक के अधिवक्ता द्वारा रिट याचिका में जबाब पेश करने के लिए समय चाहा गया। दिनांक 30.06.2020 को बैंक द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया तब से यह मामला राजस्थान उच्च न्यायालय में लम्बित है। दिनांक 18.11.2020 को अप्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया जाता है। जिसमें अप्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा सरफेशी एक्ट की धारा 14 का उल्लंघन कर प्रार्थना पत्र झूंठे व अधूरे आधारों पर फर्जी शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत की है। अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के किसी भी मद के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय के समक्ष आवश्यक तथ्यों को छुपाया गया है व तथ्यों को तोड मरोड कर प्रस्तुत किया गया है । अप्रार्थी बैंक द्वारा कहीं पर भी इस न्यायालय के समक्ष ऋण सुविधा की सही तारीख नही बताई गई। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी बैंक से सन् 2000 से लोन सुविधा उपलब्ध की है। दिनांक 22.08.2016 को लोन सुविधा का रिन्युवल हुआ था, परन्तु अप्रार्थी बैंक द्वारा कहीं पर भी यह स्पष्ट नही किया गया है। अप्रार्थी बैंक ने प्रार्थना पत्र के मद संख्या 2 में यह कथन किया कि लोन खाता 28.01.2020 को एन पी ए घोषित कर दिया गया व ऋणी के ऋण खाते में समस्त खर्चा कुल 53,59,52,773.61 रूपये दिनांक 30.06.2020 तक ब्याज शामिल करते हुए तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चे बकाया निकलते है। जबकि दिनांक 01.02.2020 के रिकाल नोटिस में एन पी ए घोषित होने की तिथि 31.01.2020 कथित की गई है। इन दोहरे तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी बैंक ने झूठे कथनों पर इस न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी बैंक के प्रार्थना पत्र के मद संख्या 3 में यह कथन किया गया कि 13(2) के नोटिस दिनांक 27.07.2020 की प्राप्ति के पश्चात भी प्रार्थना पत्र

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

दायरी तक प्रार्थीगण द्वारा ना तो सम्पूर्ण बकाया राशि जमा करवाई गई व ना ही बन्धक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा अप्रार्थी बैंक को दिया गया । यहां यह स्पष्ट होगा कि दिनांक 27.07.2020 से पहले ही प्रार्थीगण ने दिनांक 22.05.2020 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष रिट याचिका प्रस्तुत कर दी थी। जिसमें दिनांक 28.05.2020 को अप्रार्थी बैंक को नोटिस जारी हो चुके थे। अप्रार्थी बैंक ने दिनांक 27.7.2020 को 13(2) सरफेशी एक्ट के अन्तर्गत प्रार्थीगण को डिमाण्ड नोटिस जारी किया जिसकी प्राप्ति प्रार्थीगण को दिनांक 29.07.2020 को हुई जो कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है। इससे साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी बैंक ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में प्रस्तुत रिट याचिका दिनांक 22.05.2020 व नोटिस मिलने के पुर्वानुमान में दिनांक 27.7.2020 को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये । गौरतलब फरमाने की बात यह है कि अप्रार्थी बैंक ने धारा 14 के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका या दिनांक 28.5.2020 के आदेश का कहीं भी वर्णन नहीं किया जो कि गैर कानूनी है। धारा 14 सरफेशी एक्ट में अप्रार्थी बैंक को प्रकरण से संबंधित कार्यवाही जो कि किसी भी न्यायालय में लम्बित हो, का वर्णन करना आवश्यक है। इस बात से इस न्यायालय को प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र की बहस में अवगत कराया गया, परन्तु न्यायालय ने माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित कार्यवाही को विधिक बाधा नहीं माना जो कि कानूनी प्रावधानों के विरूद्व है। यहां यह स्पष्ट करना उचित होगा कि अप्रार्थी बैंक ने 13(2) के डिमाण्ड नोटिस के पश्चात सीधे ही धारा 14 सरफेशी एक्ट के अन्तर्गत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया व प्रार्थना पत्र में यह कथन किया कि बन्धक शुदा सम्पति को सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थीगण द्वारा बैंक को नहीं दिया गया। अप्रार्थी बैंक द्वारा प्रार्थीगण को कभी भी कब्जे हेतु कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया गया। मान्य न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2021 को सरफेशी एक्ट के प्रावधानों से विमुख हो कर अप्रार्थी बैंक के पक्ष में आदेश सुनाया गया है जो रिकाल होने योग्य है। अप्रार्थी बैंक न्यायालय के समक्ष यह तथ्य छिपा कर आया है कि प्रार्थीगण ने सरफेशी एक्ट की कार्यवाही बाबत कोई रिट याचिका दायर नहीं की । यह शपथ पत्र झूंठे व अधूरे तथ्यों के आधार पर खारिज किये जाने योग्य है व आदेश दिनांक 28.01.2021 रिकाल किये जाने योग्य है। अप्रार्थी बैंक महत्वपूर्ण तथ्य इस न्यायालय से छिपा कर आदेश दिनांक 28.01.2021 पारित कराया एवं झूठा शपथ पत्र प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता 191, 192 व 193 के अन्तर्गत संघीन अपराध है। सरफेशी एक्ट 2002 की धारा 14 के प्रार्थना पत्र के साथ शपथ पत्र को महत्व दिया गया है एवं 9 मदों पर शपथ पत्र देना अनिवार्य बताया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कई निर्णयों में यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया है कि उपरोक्त वर्णित 9 मदों पर शपथ पत्र देना अनिवार्य है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में धारा 14 का मद संख्या 7 व 9 का स्पष्ट उल्लंघन है। चूंकि अप्रार्थी इस न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य छिपा कर आया है एवं इस न्यायालय ने दिनांक 16.12.2020 को प्रार्थीगण का नोटिस जारी किया एवं प्रार्थीगण ने माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की बहस में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण की जानकारी देते हुये न्यायालय के समक्ष धारा 14 की कार्यवाही स्थिगित रखी जाने की बहस की, परन्तु मान्य न्यायायल ने प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत तथ्यों की गहनता से जांच नही की जो कि धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत आवश्यक व महत्वपूर्ण है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 191, 92 एव 93 फर्जी साक्ष्य देने की एवं बनाने की परिभाषा देता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्टेण्उर्ड चार्टड बैंक बनाम नोबल कुमार

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एण्ड अदर्स (2013) 9 एससीसी 620 में यह आदेश दिया गया है– "25. The satisfaction of the Magistrate contemplated under the second proviso to section 14 (1) necessarily requries the Magistrate to examine the factual correctness of the assertions made in such on affidavit but not the legal niceties of the transaction. it is only after recording of his satisfaction the Magistrate can pass oppropriate orders regarding taking of possession of the secured asset." उपरोक्त सिद्वान्त माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मनीष माखीजा बनाम सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया की रिट याचिका संख्या 14166/2017 के पैरा 12, 16, एवं 22 में दोहराया है। माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने विजिया बैंक बनाम चीफ सैकेट्री रिट याचिका संख्या 29670/2017 में दिनांक 02.04.2019 को पैरा 9 व पैरा 19 में स्पष्ट किया है–

"9. The District collector/ District Magistrate is duty bound to adhere to the time fixed under the Act, in passing orders taking into consideration of huge public money being due and recoverable by the Bank/Financial institutionss is only by sale of the property alone, after taking physical possession.

19-The respondents are directed to issued necessary direction to the jurisdictional District Collector to pass appropriatg orders as early as posible in respect of the application filed under sectuon 14 of the SARFAESI Act,2002 by the Bank. While doing so, the District collector are directed to follow the procedure set out under Section 14 of the SARFAESI Act,2002.

विधि का सुस्थापित सिद्वान्त यह है कि वैधानिक दस्तावेजों को दर्ज करने का निर्देश देने के तरीके में एक कानून का पालन किया जाना चाहिये। माननीय उच्चतम न्यायालय ने दीपक बाबरिया बनाम स्टेट आफ गुजरात (2014) 3 एस सीसी 502, के पैरा 61 में यह स्पष्ट किया है कि– When a statute provides for a thing to be done in a particular manner. Then it should be done in that manner and in ho other manner" in order to reach this conclusion, the sup Court relide upon the rule in Taylor versus Taylor (1875)LR 1Ch D 426 at 431.

K Arokiaraj v/s The chif judicial Magistraate (20130 6 MLJ 641 (FB) में माननीय न्यायालय ने पैरा 32 में यह सिद्व किया है कि–" If the intention of the legislature is unambiguous, the judge is expected not to giv any different inter pretation as the language used is clear and unambiguous."

प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से स्पष्ट है कि अप्राथी बैंक ने गलत तथ्यों पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, झूठा एवं कूट रचित शपथ पत्र पेश कर इस न्यायालय को गुमराह किया एवं इस न्यायालय से आदेश दिनांक 28.01.2021 प्राप्त कर प्रार्थीगण की सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा लेने की कोशीश की है। माननीय न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज की सूची प्रस्तुत की गई है उसमें जवाब दिनांक 01.07.2020 एवं रिट याचिका का आदेश दिनांक 28.05.2020 की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः आदेश दिनांक 28.01.2021 को रिकाल कर निस्त करने के आदेश फरमावें । अप्रार्थी को यह आदेश दिया जावे कि प्रार्थीगण की सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा नहीं लेवें। फर्जी शपथ पत्र देने का संज्ञान

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

अन्तर्गत धारा 191, 192, एवं 193 भ॰ द॰ स॰ विरूद्व श्री प्रार्थ प्रतिम दास वक्शी प्राधिकृत अधिकारी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर धारा 193 में दण्डित करने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी बैंक अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि धारा 14(1) के तहत माननीय न्यायालय द्वारा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन कर उन पर पूर्ण संतुष्टि दर्ज करते हुये विस्तृत आदेश दिनांक 28.01.2021 को पारित किया गया है। उक्त आदेश दिनांक 28.01.2021 धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत पारित आदेश है। जिसे धारा14(3) के तहत किसी भी न्यायालय अथवा प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष चुनौति नहीं दी जा सकती है। धारा 14 (1) के तहत आदेश दिनांक 28.01.2021 पारित करने के पश्चात माननीय न्यायालय हाजा फक्टश ऑफिशियो (Functus officio) हो चुका है। उक्त धारा 14 (3) के अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 अंतिम हो चुका है। जिसे पुनः स्वयं मान्य न्यायालय हाजा के समक्ष चुनौति नहीं दी जा सकती। इस कारण मान्य न्यायालय हाजा को कानूनन उपरोक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है। ऐसी सूरत में रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी आदेश का रिव्यू अथवा पुनर्विलोकन केवल किसी कानून मे प्रावधान होने पर ही किया जा सकता है। चूकि धारा 14 सरफेशी एक्ट के तहत पारित आदेश के विरूद्व रिव्यू अथवा पुनर्विलोकन करने कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। इस कारण माननीय न्यायालय को उपरोक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होने से रिव्यू प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय बोम्बे हाईकोर्ट द्वारा रिट पीटीशन संख्या 4033/2010 उनवानी यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया बनाम दी स्टैट ऑफ महाराष्ट्र में पारित आदेश दिनांक 05.07.2010 एवं अन्य कई न्यायिक विनिश्चयों में भी यही सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है कि मान्य न्यायालय को धारा 14 (1) के तहत पारित आदेश को रिव्यू करने का क्षेत्रधिकार प्राप्त नहीं है। उक्त न्यायिक विनिश्चय का पैरा संख्या 32 का सुसंगत अंश अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । ऋणी द्वारा एक सिक्योरिटाईजेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 17 माननीय ऋण वसूली अधिकरण जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है जिसमें पारित आदेश दिनांक 08.02.2020 को पालना में ऋणी एवं जमानतदारों को सात दिवस का नोटिस बाबत कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा दिया जा चुका है। अन्य कोई अन्तरिम आदेश ऋणी एवं जमानतदार के पक्ष में माननीय ऋण वसूली अधिकरण द्वारा पारित नहीं किया गया है। इस कारण यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया प्रतिभूति आस्तियों का वास्तविक कब्जा प्राप्त कर अपनी बकाया वसूली करने का अधिकारी है। यह एक स्वीकृत स्थित है कि नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) दिनांकित 27.07.2020 में मुताबिक ऋणी एवं जमानतदारों की 53,59,52,773.61 रूपये की देनदारी दिनांक 30.06.2020 तक ब्याज शामिल करते हुये तथा इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्चो सहित बकाया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि रिव्यू प्रार्थीगण ने केवल मात्र यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया की बकाया राशि को वसूल करने के लिए की जा रही वसूली कार्यवाही में देरीना व निष्फल करने के उद्वेश्य से उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जो सरासर पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त उनवानी रिव्यू प्रार्थना पत्र में रिव्यू प्रार्थीगण ने सरासर गलत एवं दुर्भावना से कथन अंकित किये है

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

रिव्यू प्रार्थीगण के पक्ष में अथवा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के विरूद्व कोई भी स्थगन आदेश सिक्योरिटाईजेशन एक्ट के तहत की जा रही कार्यवाही बाबत प्रभावी नहीं है। केवल मात्र सात दिवसीय नोटिस का आदेश माननीय ऋण वसूली अधिकरण जयपुर द्वारा पारित किया गया था। जिसकी पालना यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा पूर्व में ही की जा चुकी है। इस कारण रिव्यू प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा एक रिट याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है, परन्तु उसमें ऋणी को अथवा जमानतदार के पक्ष में कोई स्थगन आदेश माननीय राजस्थान उच्च न्यायायल द्वारा पारित नही किया गया है। धारा 13 (2) के तहत जो अन्तिम नोटिस दिनांक 27.02.2020 को जारी किया गया है, उसमें सभी जानकारियां एन पी ए की तारीख आदि सभी सही दर्ज की गई है। अप्रार्थी बैंक द्वारा सभी आवश्यक जानकारी धारा 14 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो सही है यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा न तो कोई कथन मिथ्या दर्ज किया गया है और ना ही कोई सुसंगत तथ्य ही माननीय न्यायालय से छिपाया है। माननीय न्यायालय ने धारा 14 सरफेशी एक्ट के प्रार्थना पत्र पर ऋणी एवं जमानतदारों को सुन कर पूर्ण संतुष्टि दर्ज करते हुये आदेश दिनांक 28.01.2021 पारित किया है । इस कारण रिव्यू प्रार्थना निरस्त किये जाने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्जावेजो का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर न्याय हित में ऋणी एवं जमानतदार को सूचना पत्र के जरिये सूचित किया गया। ऋणी एवं जमानतदार की ओर से अधिवक्ता ने उपस्थित होकर खाता एनपीए होना स्वीकार है तथा माननीय उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन होने का कथन कर धारा 14 सरफेशी एक्ट की कार्यवाही को स्थिगित किये जाने का अनुरोध किया, किन्तु किसी प्रकार का स्थगन आदि पेश नहीं किया। उभय पक्ष अधिवक्ताओं को सुन कर एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने के पश्चात धारा 14 के प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। ऋणी एवं जमानदार का यह कथन कि उसके द्वारा धारा 13 (2) के नोटिस का प्रत्युत्तर दिया गया था जिसका बैंक द्वारा जबाब भी दिया गया, किन्तु शपथ पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि बैंक की ओर से धारा 14 के प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक 18.11.2020 के अतिरिक्त एक शपथ पत्र दिनांक 07.01.2021 को पेश किया गया है जिसकी बिन्दू संख्या 2 इस प्रकार है " यह कि शपथ गृहिता ने दिनांक 04.01.2021 से उपरोक्त खाते में प्राधिकृत अधिकारी है एवं बैंक के रिकार्ड के अनुसार मद नम्बर 1 में वर्णित ऋणियों से सरफेशी एक्ट की कार्यवाही बाबत प्राप्त प्रतिवेदन का नियमानुसार जबाब दे दिया गया है तथा अस्वीकार करने के कारणों से ऋणियों को अवगत करा दिया गया है।" इसलिए ऋणी का यह कथन कि बैंक द्वारा शपथ पत्र अधूरा दिया गया है, मान्य नही है। चूंकि धारा 14 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का 30 दिवस या अधिकतम 60 दिवस में निस्तारित किये जाने के प्रावधान है। इसलिए प्रार्थना पत्र को बिना किसी सक्षम न्यायालय के स्थगन/आदेश के अधिक समय के लिए लम्बित नहीं रख सकते है। उभयपक्ष को सुनकर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में विचाराधीन मामले के अध्यधीन धारा 14 सरफेशी एक्ट का प्रार्थना स्वीकार किया गया । प्रार्थी द्वारा उठाये गये बिन्दुओं को रिव्यू प्रार्थना पत्र में तय किये जाने का

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नहीं होकर माननीय ऋण वसूली अधिकरण को है। जहां पर मामला पूर्व से विचाराधीन है। सरफेशी एक्ट में रिव्यू का कोई विधिक प्रावधान नही है। इसलिए उक्त प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.01.2021 में किसी प्रकार के पुनर्विचार व हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। फलस्वरूप प्रार्थी का पुनर्विलोकन–रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा संबंधित को जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. आदेश आज दिनांक 15.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/3/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर